

फारम-VIII-क

कार्यालय नगर परिषद फुलवारी शरीफ

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या-8(4)

23322032900016

आपके आवेदन संख्या-

गोपनीय सरकार
को लालचा

Ditt

(55) ~~2000~~

(ख) आवासायि भवन के निर्माण।

(ख) व्यवसायिक भवन के
 (ग) अस्ति ते — विं

(१) भवन के पुनःनिर्माण।
(२) दि-

(८) विद्यमान भवन में परिवर्तन ए

(५) भवन के उपयोग में परिवर्तन।
हेतु नगर परिषद फुलवारी शरीफ क्षेत्र बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन स्कीम के ...
प्लौट नं०- 1030 खाता नं०- ४८ तौजी नं०- ५१९० थाना- नं०- ३५ मौजा- ~~फुलवारी शरीफ~~ जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित
शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद हासा भवन योजना मिसका प्लान केस नं०- २२/२०२१-२२/४८-१९ है,
जिसका निर्माण क्षेत्रफल 1308.278+1904.6972 (ext) है,

- वर्गमीटर एवं ६४ की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुगोदित योजना में दर्शाया गया ७२९ वर्गमीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि ७०५ मी० चौड़ाई के अनुगोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क का मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजन प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद फुलवारी शरीफ आयोजना क्षेत्र में १ वर्गमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुगोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुगोदन रखतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निवंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दरतावेजों/कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की बृद्धि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

For Kanyan Developers

2011

Partner

भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही हिसे जायें, गविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण अवावदेही आवेदक की होगी एवं विधिसम्मत कार्रवाई के पात्र होगे।

- (इ) Environmental Protection Act, के तहत बहुगिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ट) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2017 के अंतर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरांत ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड र्लम रिहैबिलिटेशन एंड रिडेवलफोन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अंतर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरांत ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) अन्य शर्त।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं बिहार भवन उचिति, 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

प्रभारी लिपिक
३१/३/२२

प्रधान लिपिक

कनीय अभियंता
३१/३/२२

Jaiya Akem
31/03/2022
सहायक अभियंता

M/31/3/2022
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद फुलवारी शरीफ

ज्ञापांक ५६७ दाते दिनांक : ०५/०४/२०२२

प्रतिलिपि :— मेसर्स/ धी/ श्रीमति कौल काल्याश्रुत लालपैठ (सिता-८५७९११५८६५) पिता— कौल राजन्द प्रसाद लिंग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

M/31/3/2022
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद फुलवारी शरीफ



For Kantyan Developers

Partners